

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविप/परिषद्/सम्बद्धता/2022/209878

लखनऊ दिनांक 09/09/2022

कार्यालय शीर्ष:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मासी/फैरिग संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 03/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु आवेदन पूर्व से संशोधित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार परामर्शक प्रवेश करना सुनिश्चित करने एवं निम्न प्रकार के सूचक संख्या सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया:

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु नियुक्ति शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1305-BBS INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL & ALLIED SCIENCES			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई द्वारा नियुक्ति की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमवाली-2000, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा संस्था द्वारा सत्र 2023-24 के अनुमोदन करने तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सौंप करी।
- ✓ संस्था का निर्माण शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सौंप करेगी।
- ✓ संस्था का उचित प्रवेश प्रदान हेतु निर्णयित विनियमों/विनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, लखनऊ एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा जारी गये निर्देशों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्था का ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा एवं निर्णयित रूप से निर्णयित शर्तों के लिए संस्था सक्षम रहना चाहिए। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो संस्था द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्णयित किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधी कार्य करेगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित शर्तें प्रवेश हेतु, आयोजित सार्वजनिक प्रवेश होने के पूर्व ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपपत्रक कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तिका) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत प्रवेश प्रवेश हेतु अनुमोदित प्रदान नहीं की जाती।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु संस्था-समय पर निर्णयित शासनादेशों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने विद्यार्थियों पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की वैश्विक वेबसाइट, प्रिन्ट, स्टिकर, साइट-समय, उपकरण, प्रवेश किया जाने वाला दस्ता, उपकरण शुल्क आदि का निवारण उपपत्रक कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-अभियुक्त हेतु उपपत्रक प्राप्त करने के साथ-साथ संस्था के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रमाणित/संशोधित पाठ्यक्रम को जारी करने हेतु निष्पक्ष समिति के समक्ष उपपत्रक कराने एवं अतिरिक्त, प्रति-भारत, कार्यालय, उपकरण हेतु यदि कोई संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संशोधन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी देनी है कि संस्था उपपत्रक का प्रवेश किसी अन्य शर्तों के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था लिये जाने की आवश्यकता की जाती।
- ✓ संस्था के अधिकार/स्वतंत्र निर्धारण के दौरान यदि संस्था में भ्रम, भ्रष्टाचार, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई/परिषद के मानक/उपपत्रक उपपत्रक नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता संस्था कर दी जाती।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने/अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरावृत्त/अनुमोदन-रद्द कर दी जाती।


(ए०आईएलसीटीआई)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राविप/परिषद्/सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक 12-09-2023

कार्यालय शीर्ष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संशोधित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु नियुक्ति शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1305-BBS INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL & ALLIED SCIENCES			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3098/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संशोधित समस्त संस्थाओं की ओर से विरुद्ध माननीय ग्यापलाय में घोषित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय ग्यापलाय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा नियुक्ति की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्था में समस्त संसाधन (पुस्तिका, भवन, बैंक उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमवाली-2000, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा संस्था-समय पर निर्णयित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सौंप करेगी।
- ✓ संस्था का उचित प्रवेश प्रदान हेतु निर्णयित विनियमों/विनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो संस्था द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्णयित किया जाता है, तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधी कार्य करेगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित शर्तें प्रवेश हेतु, आयोजित सार्वजनिक प्रवेश होने के पूर्व ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपपत्रक कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तिका) के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत प्रवेश प्रवेश हेतु अनुमोदित प्रदान नहीं की जाती।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु संस्था-समय पर निर्णयित शासनादेशों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने विद्यार्थियों पर संस्था की समस्त सूचनाओं जैसे संस्था की वैश्विक वेबसाइट, प्रिन्ट, स्टिकर, साइट-समय, उपकरण, प्रवेश किया जाने वाला दस्ता, उपकरण शुल्क आदि का निवारण उपपत्रक कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-अभियुक्त हेतु उपपत्रक प्राप्त करने के साथ-साथ संस्था के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रमाणित/संशोधित पाठ्यक्रम को जारी करने हेतु निष्पक्ष समिति के समक्ष उपपत्रक कराने एवं अतिरिक्त, प्रति-भारत, कार्यालय, उपकरण हेतु यदि कोई संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संशोधन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी देनी है कि संस्था उपपत्रक का प्रवेश किसी अन्य शर्तों के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था लिये जाने की आवश्यकता की जाती।
- ✓ संस्था के अधिकार/स्वतंत्र निर्धारण के दौरान यदि संस्था में भ्रम, भ्रष्टाचार, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक ए०आईएलसीटीआई/पीएसीआई/परिषद के मानक/उपपत्रक उपपत्रक नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता संस्था कर दी जाती।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने/अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरावृत्त/अनुमोदन-रद्द कर दी जाती।